# अध्याय - I

# सामान्य

# अध्याय-I: सामान्य

## 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

**1.1.1** वर्ष 2014-15 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश, शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका - 1.1.1** में उल्लिखित हैं।

**तालिका - 1.1.1**
**राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

**(` करोड़ में)**

| क्र. सं. | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व** | | | | | |
| | • कर राजस्व | 5,716.63 | 6,953.89 | 8,223.67 | 9,379.79 | 10,349.81 |
| | • कर-भिन्न राजस्व | 2,802.89 | 3,038.22 | 3,535.63 | 3,752.71 | 4,335.06 |
| | **कुल** | **8,519.52** | **9,992.11** | **11,759.30** | **13,132.50** | **14,684.87** |
| 2 | **भारत सरकार से प्राप्तियाँ** | | | | | |
| | • विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश | 6,154.35 | 7,169.93 | 8,188.05 | 8,939.32 | 9,487.01[1] |
| | • सहायता अनुदान | 4,107.25 | 5,257.41 | 4,822.20 | 4,064.97 | 7,392.68 |
| | **कुल** | **10,261.60** | **12,427.34** | **13,010.25** | **13,004.29** | **16,879.69** |
| 3 | **राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)** | **18,781.12** | **22,419.45** | **24,769.55** | **26,136.79** | **31,564.56** |
| 4 | **1 की 3 से प्रतिशतता** | **45** | **45** | **47** | **50** | **47** |

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (` 14,684.87 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 47 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के दौरान शेष 53 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से थी।

**1.1.2** 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान सृजित किये गये कर राजस्व का विवरण **तालिका - 1.1.2** में दिया गया है।

---

[1] पूर्ण विवरण के लिये कृपया सरकार के वर्ष 2014-15 के सरकार के वित्त लेखे में विवरणी संख्या 11-लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (लघुशीर्ष-107-व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर को छोड़कर), 0032-सम्पत्ति पर कर, 0044-सेवा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038- संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, लघु शीर्ष-901 निवल प्राप्तियों में राज्यों का समानुदिष्ट हिस्सा के अधीन दर्ज आँकड़े जो वित्त लेखा में "ए - कर राजस्व" शीर्ष में दिखाये गये हैं, इस विवरणी में राज्य द्वारा सृजित राजस्व से अलग कर दिये गये है और विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में सम्मिलित किये गये हैं।

**तालिका - 1.1.2**

**सृजित कर राजस्व का विवरण**

**(` करोड़ में)**

| क्र.सं. | राजस्व शीर्ष | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 की तुलना में 2014-15 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | ब.अ. | 4,503.00 | 5,633.25 | 6,650.00 | 7,874.50 | 9,267.95 | (+) 17.70 |
| | | वास्तविक | 4,473.43 | 5,522.02 | 6,421.61 | 7,305.08 | 8,069.72 | (+) 10.47 |
| 2 | राज्य उत्पाद | ब.अ. | 525.00 | 445.00 | 650.00 | 700.00 | 1,931.84 | (+) 175.98 |
| | | वास्तविक | 388.34 | 457.08 | 577.92 | 627.93 | 740.16 | (+) 17.87 |
| 3 | मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क | ब.अ. | 302.50 | 450.00 | 490.00 | 568.00 | 680.48 | (+) 19.80 |
| | | वास्तविक | 328.35 | 401.17 | 492.40 | 502.61 | 530.67 | (+) 5.59 |
| 4 | वाहनों पर कर | ब.अ. | 440.00 | 356.00 | 550.00 | 639.40 | 836.33 | (+) 30.80 |
| | | वास्तविक | 312.37 | 391.92 | 465.36 | 494.79 | 660.37 | (+) 33.46 |
| 5 | विद्युत पर कर एवं शुल्क | ब.अ. | 53.56 | 100.00 | 142.00 | 161.00 | 193.82 | (+) 20.39 |
| | | वास्तविक | 53.50 | 72.76 | 110.72 | 145.79 | 175.40 | (+) 20.31 |
| 6 | भू-राजस्व | ब.अ. | 66.00 | 83.49 | 82.00 | 95.00 | 300.14 | (+) 215.94 |
| | | वास्तविक | 130.65 | 52.94 | 96.38 | 229.84 | 83.54 | (-) 63.65 |
| 7 | माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर | ब.अ. | 65.37 | 30.00 | 20.00 | अर्निधारण | 0.15 | -- |
| | | वास्तविक | 21.08 | 40.95 | 0.51 | 1.08 | 0.28 | (-) 74.07 |
| 8 | वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क | ब.अ. | 12.00 | 36.75 | 28.00 | 34.50 | 41.91 | (+) 21.48 |
| | | वास्तविक | 8.91 | 15.05 | 15.28 | 22.76 | 32.57 | (+) 43.10 |
| 9 | व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर | ब.अ. | एस.ओ.-7 दिनांक 29 जून 2012 द्वारा लागू | | 65.00 | 80.00 | 61.38 | (-) 23.28 |
| | | वास्तविक | | | 43.49 | 49.91 | 57.11 | (+) 4.43 |
| **कुल** | | **ब.अ.** | **5,967.43** | **7,134.49** | **8,677.00** | **10,152.40** | **13,314.00** | **(+) 31.14** |
| | | **वास्तविक** | **5,716.63** | **6,953.89** | **8,223.67** | **9,379.79** | **10,349.81** | **(+) 10.34** |

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विगत वर्ष की तुलना में बजट अनुमानों में वृद्धि (-) 23.28 से 215.94 प्रतिशत के मध्य रही। राज्य उत्पाद एवं भू-राजस्व के संबंध में वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति पर बिना विचार किये बजट अनुमानों में 175.98 प्रतिशत एवं 215.94 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। संबंध विभागों ने बजट अनुमानों में वृहत वृद्धि की वजहें अनुरोध के बावजूद सूचित नहीं किया (अगस्त 2015)।

कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों से संबंधित 2013-14 की तुलना में 2014-15 की प्राप्तियों में विचरण के कारण निम्न थे:

**बिक्री, व्यापार आदि पर कर:** विभाग द्वारा 10.47 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बेहतर एवं प्रभावकारी कर प्रशासन साथ ही ` 37.79 करोड़ के बकाये की पर्याप्त वसूली बताया गया (जुलाई 2015)।

**राज्य उत्पाद**: विभाग द्वारा 17.87 प्रतिशत की वृद्धि का कारण भा.नि.वि.श. के शुल्क के दर में वृद्धि का होना बताया गया (जून 2015)।

**मोटर वाहन:** विभाग द्वारा 33.46 प्रतिशत की वृद्धि का कारण प्रमादी वाहनों से बकाये कर की वसूली एवं नये वाहनों के निबंधन में बढ़ोतरी को बताया गया (अगस्त 2015)।

**विद्युत पर कर एवं शुल्क:** विभाग द्वारा 20.31 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बेहतर कर प्रशासन बताया गया (जुलाई 2015)।

**वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क:** 43.10 प्रतिशत वृद्धि का कारण बेहतर एवं प्रभावकारी कर प्रशासन बताया गया (जुलाई 2015)।

अनुरोध के बावजूद राजस्व के अन्य शीर्षों के विचरण की वजहें संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

**1.1.3** वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान सृजित कर भिन्न राजस्व के विस्तृत विवरण **तालिका - 1.1.3** में दर्शाये गये हैं:

**तालिका - 1.1.3**

**सृजित कर-भिन्न राजस्व का विवरण**

(` **करोड़ में**)

| क्र.सं. | राजस्व शीर्ष | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 की तुलना में 2014-15 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | ब.अ. | 2,086.76 | 2,759.75 | 3,209.92 | 3,500.00 | 4,699.47 | (+) 34.27 |
| | | वास्तविक | 2,055.90 | 2,662.79 | 3,142.47 | 3,230.22 | 3,472.99 | (+) 7.52 |
| 2 | वानिकी एवं वन्य जीवन | ब.अ. | 11.79 | 4.17 | 4.80 | 5.25 | 4.18 | (-) 20.38 |
| | | वास्तविक | 4.76 | 3.71 | 4.22 | 5.17 | 3.66 | (-) 29.21 |
| 3 | ब्याज प्राप्तियाँ | ब.अ. | 279.41 | 100.64 | 65.00 | 115.00 | 243.36 | (+) 111.62 |
| | | वास्तविक | 98.74 | 44.16 | 72.23 | 69.48 | 143.04 | (+) 105.87 |
| 4 | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | ब.अ. | 11.15 | 33.00 | 19.00 | 20.00 | 3.62 | (-) 81.90 |
| | | वास्तविक | 23.85 | 15.42 | 20.48 | 5.24 | 4.16 | (-) 20.61 |
| 5 | अन्य | ब.अ. | 740.53 | 711.10 | 542.37 | 703.40 | 742.39 | (+) 5.54 |
| | | वास्तविक | 619.64 | 312.14 | 296.23 | 442.60 | 711.21 | (+) 60.69 |
| **कुल** | | **ब.अ.** | **3,129.64** | **3,608.66** | **3,841.09** | **4,343.65** | **5,693.02** | **(+) 31.07** |
| | | **वास्तविक** | **2,802.89** | **3,038.22** | **3,535.63** | **3,752.71** | **4,335.06** | **(+) 15.52** |

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान

विभागों ने हमारे आग्रह के बावजूद आधिक्य/कमी का कारण प्रस्तुत नहीं किया (अप्रैल एवं अगस्त 2015 के बीच)।

## 1.2 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2015 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व के बकाये की राशि ` 3,311.93 करोड़ थी, जिसमें ` 2,347.84 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था, जैसा कि **तालिका - 1.2** में वर्णित है।

**तालिका - 1.2**
**राजस्व बकाया**

**(` करोड़ में)**

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2015 को बकाया राशि | 31 मार्च 2015 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 3,005.51 | 2,254.72 | ` 3,005.51 करोड़ में से ` 162.16 करोड़ की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। ` 450.81 करोड़ एवं ` 258.00 करोड़ की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी। ` 13.28 करोड़ एवं ` 15.85 करोड़ की माँग पर क्रमश: सुधार/पुनर्विचार आवेदन एवं व्यवसायी/पार्टी के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी। शेष ` 2,105.41 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2015)। |
| 2. | वाहनों पर कर | 276.09 | 82.28 | ` 276.09 करोड़ में से ` 215.34 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ` 1.41 लाख की वसूली पर न्यायालयों द्वारा रोक लगायी गयी। शेष ` 60.74 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2015)। |

**तालिका - 1.2**
**राजस्व बकाया**

**(` करोड़ में)**

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2015 को बकाया राशि | 31 मार्च 2015 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | राज्य उत्पाद | 30.33 | 10.84 | 31 मार्च 2015 को ` 30.33 करोड़ के बकाये अंत शेष में से ` 15.28 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ` 7.72 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी। ` 10.56 लाख की वसूली पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी एवं ` 16.08 लाख की राशि का अपलेखन संभावित था। शेष ` 7.06 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2015)। |
| **कुल** | | **3,311.93** | **2,347.84** | |

` 3,311.93 करोड़ के कुल लंबित राजस्व में से ` 392.78 करोड़ की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये एवं ` 745.94 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों, भूल सुधार/पुनर्विचार आवेदन एवं पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी, शेष ` 2,173.21 करोड़ के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना संबंधित विभागों द्वारा नहीं दी गयी।

हमारे द्वारा सक्रिय अनुसरण (अप्रैल एवं अगस्त 2015 के बीच) के बावजूद 2014-15 के अन्त में अन्य विभागों से संबंधित संग्रहण हेतु लंबित राजस्व के बकाये की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी (अक्टूबर 2015)।

## 1.3 करनिर्धारण में बकाये

मूल्यवर्द्धित कर, मनोरंजन कर, विद्युत शुल्क एवं कार्य संविदाओं पर करों के संबंध में वर्ष के प्रारंभ में करनिर्धारण संबंधित लंबित मामले, वर्ष के दौरान करनिर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये मामले एवं वर्ष के अंत में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या का विस्तृत विवरण, जैसा वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया **तालिका - 1.3** में दिया गया है।

**तालिका - 1.3**

**करनिर्धारण में बकाये**

| वर्ष | प्रारंभिक शेष | करनिर्धारण हेतु लंबित नये मामले | कुल लंबित करनिर्धारण | निष्पादित मामले | वर्ष के अंत में शेष | कॉलम 6 से 4 की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2009-10 | 13,235 | 56,106 | 69,341 | 49,422 | 19,919 | 28.73 |
| 2010-11 | 19,919 | 64,145 | 84,064 | 66,874 | 17,190 | 20.45 |
| 2011-12 | 17,190 | 63,515 | 80,705 | 50,473 | 30,232 | 37.46 |
| 2012-13 | 31,244 | 58,087 | 89,331 | 53,385 | 35,946 | 40.24 |
| 2013-14 | 33,505 | 63,903 | 97,408 | 63,519 | 33,889 | 34.79 |
| 2014-15 | 37,983 | 68,303 | 1,06,286 | 65,464 | 40,822 | 38.41 |

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान, विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न थे। करनिर्धारण में बकाये की भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (अगस्त 2015), प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)। अग्रेतर, 31 मार्च 2015 को 40,822 मामले करनिर्धारण के निष्पादन हेतु लंबित थे। इसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हो सकती है क्योंकि मामले कालबाधित हो सकते है।

## 1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन

वाणिज्यकर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं अतिरिक्त कर हेतु सृजित माँग जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किये गये, के विस्तृत विवरण **तालिका - 1.4** में दिये गये हैं।

**तालिका - 1.4**

**पता लगाये गये कर अपवंचन**

| राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2014 तक लंबित मामले | 2014-15 के दौरान पता लगाये गये मामले | कुल | मामलों की संख्या जिनमें करनिर्धारण/जाँच पूर्ण हुई तथा अर्थदंड सहित अतिरिक्त सृजित माँग आदि | | 31 मार्च 2015 को निष्पादन हेतु लंबित मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मामले की संख्या | माँग की राशि (` करोड़ में) | |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 33 | 64 | 97 | 63 | 1.14 | 34 |

विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न है। भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (सितम्बर 2015) प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)। करनिर्धारण का समापन एवं जाँच का शुद्ध प्रभाव ` 1.14 करोड़ की माँग थी, जो संग्रहित करों अर्थात ` 9,267 करोड़ का नगण्य अंश है, जो विभाग की जाँच करने वाली तंत्र की अपर्याप्तता को दर्शाती है।

## 1.5 प्रतिदाय मामलों की विचाराधीनता

वर्ष 2014-15 के आरंभ में प्रतिदाय के लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदाय तथा वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर लंबित मामले, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किये गये, **तालिका - 1.5** में दिया गया है।

**तालिका** - 1.5

**लंबित प्रतिदाय मामलों का विवरण**

(` **लाख में**)

| क्र. सं. | विवरण | मू.व.क./विद्युत पर कर एवं शुल्क | |
|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या | राशि |
| 1. | वर्ष के आरंभ में लंबित दावे | 503 | 2,132.96 |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त दावे | 18 | 648.61 |
| 3. | वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय | 16 | 359.21 |
| 4. | वर्ष के अंत में बकाया शेष | 505 | 2,422.36 |
| 5. | विलम्बित प्रतिदाय के कारण भुगतान किया गया ब्याज | शून्य | शून्य |

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न थे। भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (सितम्बर 2015), प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)। झारखण्ड मू.व.क. अधिनियम प्रतिदाय के दावे का आवेदन नब्बे दिनों से अधिक अवधि तक यदि आधिक्य राशि व्यवसायी को वापस नहीं किया जाता है तो ऐसे आदेश की तिथि से प्रतिदाय की वापसी की तिथि तक छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

बिक्री कर/मू.व.क. के प्रतिदाय मामलों के निष्पादन की प्रगति प्राप्त किये गये दावों की तुलना में अत्यंत धीमी थी और ब्याज के भुगतान के लिए संवेदनशील है।

## 1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

हम संव्यवहारों की नमूना जाँच करने हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं तथा निर्धारित नियमावलियों और प्रक्रियाओं के अनुसार लेखाओं और अन्य अभिलेखों के संधारण की जाँच करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात जाँच के दौरान पाए गए एवं कार्यस्थल पर नहीं निपटाए गए अनियिमतताओं को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जो अगले उच्चतर प्राधिकारियों के प्रतियों सहित निरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालयों के प्रमुख/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों पर तत्परता से अनुपालन करना, चूक एवं त्रुटियों को सुधारना और प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से एक माह के भीतर

अनुपालन प्रेषित करना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2014 तक निर्गत नि.प्र. की हमने समीक्षा की और पाया कि 1,065 नि.प्र. से संबद्ध ` 13,276.85 करोड़ की 8,677 कंडिकाएँ जून 2015 के अंत तक लंबित थी, जैसा कि पिछले दो वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े सहित **तालिका - 1.6** में नीचे उल्लिखित है।

**तालिका** - 1.6
**लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण**

(` **करोड़ में**)

| | जून 2013 | जून 2014 | जून 2015 |
|---|---|---|---|
| लंबित नि.प्र. की संख्या | 994 | 977 | 1,065 |
| लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या | 6,945 | 8,127 | 8,677 |
| सन्निहित राशि | 10,977.96 | 12,704.36 | 13,276.85 |

**1.6.1** 30 जून 2015 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों और सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका - 1.6.1** वर्णित हैं।

**तालिका - 1.6.1**
**निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण**

(` **करोड़ में**)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | प्राप्तियों की प्रकृति | लंबित नि.प्र. की संख्या | लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या | सन्निहित राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वाणिज्य कर | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 235 | 4,289 | 4,349.41 |
| | | प्रवेश कर | 41 | 96 | 24.40 |
| | | विद्युत शुल्क | 21 | 67 | 87.98 |
| | | मनोरंजन कर आदि | 10 | 10 | 0.53 |
| 2 | उत्पाद एवं मद्यनिषेध | राज्य उत्पाद | 139 | 716 | 622.68 |
| 3 | राजस्व एवं भूमि सुधार | भू-राजस्व | 87 | 571 | 1,728.11 |
| 4 | परिवहन | मोटर वाहनों पर कर | 216 | 1,297 | 522.32 |
| 5 | निबंधन | मुद्रांक एवं निबंधन फीस | 134 | 475 | 3,646.67 |
| 6 | खान एवं भूतत्व | अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 182 | 1,156 | 2,294.75 |
| **कुल** | | | **1,065** | **8,677** | **13,276.85** |

वर्ष 2003-04 से दिसम्बर 2014 तक निर्गत 182 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी, जिसे निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना अपेक्षित है, प्राप्त नहीं हुए। संभाव्य वसूली योग्य राजस्व का परिमाण ` 13,276.85 करोड़, जैसा कि नि.प्र. में लाया गया है, राज्य के कुल राजस्व संग्रहण ` 14,684.87 करोड़ से आँका जा सकता है।

**हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार, कर्मचारियों/अधिकारियों जो लेखापरीक्षा के संवैधानिक कर्त्तव्य के अभिप्राय का पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर भेजने में विफल रहते हैं, के विरूद्ध कार्रवाई के लिए प्रणाली स्थापित कर सकती है।**

## 1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के कंडिकाओं की प्रगति के अनुश्रवण एवं शीघ्र निपटारे के लिए लेखापरीक्षा समितियां स्थापित करती है। वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की हुई बैठकें एवं निष्पादित कंडिकाओं के विवरण **तालिका - 1.6.2** में वर्णित है।

**तालिका - 1.6.2**
**विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण**

(` **लाख में**)

| राजस्व शीर्ष | संपन्न बैठकों की संख्या | निष्पादित कंडिकाओं की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 2 | 64 | 2,347.85 |
| मुद्रांक एवं निबंधन फीस | 1 | 7 | 0 |
| राज्य उत्पाद | 1 | 24 | 1,198.92 |
| वाहनों पर कर | 2 | 41 | 2,333.78 |
| भू-राजस्व | 2 | 36 | 5,00.14 |
| अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 2 | 111 | 11,109.10 |
| **कुल** | **10** | **283** | **22,389.79** |

परिवहन विभाग एवं वाणिज्यकर विभाग से संबंधित कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति वृहत रूप से विचाराधीन निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की तुलना में नगण्य था।

## 1.6.3 लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर/कर-भिन्न प्राप्तियों से संबंधित कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभाग को, लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने से सामान्यत: एक माह पूर्व सूचनाएं भेज दी जाती है जिससे कि वे संबंधित अभिलेखों को संवीक्षा के लिए तैयार रख सके।

वर्ष 2014-15 के दौरान, हमें लेखापरीक्षा हेतु चार विभागों (वाणिज्य कर, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा निबंधन विभाग) के 17 कार्यालयों से संबंधित 256 अभिलेख उपलब्ध नहीं करायी गयी। ऐसे मामलों का कार्यालयवार विघटन **तालिका - 1.6.3** में दिया गया है।

**तालिका - 1.6.3**

**अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण का विवरण**

| कार्यालय का नाम | लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये गये करनिर्धारण मामलों/अभिलेखों की संख्या |
|---|---|
| वाणिज्यकर उपायुक्त, कतरास | 36 |
| वाणिज्यकर उपायुक्त, गोड्डा | 14 |
| जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका | 1 |
| भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता (भू.सु.उ.स.), खूँटी | 3 |
| अंचल कार्यालय, अड़की | 27 |
| अंचल कार्यालय, बाँसजोर | 2 |
| अंचल कार्यालय, बोलबा | 4 |
| अंचल कार्यालय, कर्रा | 27 |
| अंचल कार्यालय, केरसई | 5 |
| अंचल कार्यालय, खूँटी | 27 |
| अंचल कार्यालय, कोलेबिरा | 7 |
| अंचल कार्यालय, कुरडेग | 7 |
| अंचल कार्यालय, मुरहू | 27 |
| अंचल कार्यालय, रनिया | 27 |
| अंचल कार्यालय, ठेठईटांगर | 11 |
| अंचल कार्यालय, तोरपा | 27 |
| जिला अवर निबंधक, गोड्डा | 4 |
| **कुल** | **256** |

## 1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को महालेखाकार (म.ले.) द्वारा, संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने एवं छः सप्ताह के अंदर प्रत्युत्तर भेजने का आग्रह करते हुए, अग्रसारित किया जाता है। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति का तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसी कंडिकाओं के अंत में हमेशा दर्शाया जाता है।

दो निष्पादन लेखा परीक्षा एवं 46 प्रारूप कंडिकाएँ (30 कंडिकाओं में से संकलित कर) मई एवं जुलाई 2015 के बीच संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के नाम से भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने 12 प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर अनुस्मारक (जुलाई एवं अगस्त 2015 के बीच) निर्गत करने के बावजूद नहीं भेजा और इन्हें विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

## 1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन - संक्षेपित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) की आंतरिक कार्य प्रणाली ने निर्धारित किया कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात, विभाग लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे एवं सरकार द्वारा उन पर कृत कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहिए। बावजूद इन प्रावधानों के, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ में असाधारण विलंब हुआ। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 को समाप्त हुए वर्षों के झारखण्ड सरकार के राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित 138 कंडिकायें (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) अगस्त 2011 एवं मार्च 2015 के बीच राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखी गयीं। प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में इन कंडिकाओं पर कृत कार्रवाई पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ संबंधित विभाग से औसतन 3 माह विलंब से प्राप्त हुए। विभागों से 91 कंडिकाओं के संबंध में कृत कार्रवाई पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ जो प्राप्त नहीं हुए थे **तालिका - 1.6.5** में वर्णित हैं।

**तालिका - 1.6.5**

| क्र. सं. | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष | विधानमण्डल में प्रस्तुति की तिथि | कंडिकाओं की संख्या | कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त हुईं | कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 मार्च 2010 | 29.08.2011 | 26 | 10 | 16 |
| 2 | 31 मार्च 2011 | 06.09.2012 | 32 | 26 | 06 |
| 3 | 31 मार्च 2012 | 27.07.2013 | 25 | 1 | 24 |
| 4 | 31 मार्च 2013 | 04.03.2014 | 27 | 0 | 27 |
| 5 | 31 मार्च 2014 | 26.03.2015 | 28 | 10 | 18 |
| **कुल** | | | **138** | **47** | **91** |

लो.ले.स. ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 43 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की तथा प्रतिवेदन (2009-10) में सम्मिलित खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित एक कंडिका पर अपनी अनुशंसाएँ दी। तथापि, नवम्बर 2000 में राज्य बनने के समय से लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर इन विभागों से ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई है।

## 1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों को निपटाने हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मुद्दों पर विभागों/सरकार द्वारा दक्षता का विश्लेषण के लिये, विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में

सम्मिलित कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया एवं इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

अनुवर्ती कंडिकाओं 1.7.1 एवं 1.7.2 में **वाणिज्यकर विभाग** के अंतर्गत राजस्व शीर्ष **बिक्री, व्यापार आदि पर कर** का विगत दस वर्षों में किये गये स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता चले मामलों एवं वर्ष 2005-06 से 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर की गई कार्रवाई की चर्चा है।

## 1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

**वाणिज्यकर विभाग** के राजस्व शीर्ष बिक्री व्यापार आदि पर कर से संबंधित वर्ष 2005-06 से 2014-15 की अवधि में निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं की संक्षेपित स्थिति एवं 31 मार्च 2015 को उनकी स्थिति नीचे **तालिका - 1.7.1** में सारणीबद्ध है।

**तालिका - 1.7.1**
**निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति**

(` **करोड़ में**)

| वर्ष | प्रारंभिक शेष | | | वर्ष के दौरान परिवर्धन | | | वर्ष के दौरान निष्पादन | | | वर्ष के दौरान अंतिम शेष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नि.प्र. | कंडिकाएँ | राशि | नि.प्र. | कंडिकाएँ | राशि | नि.प्र. | कंडिकाएँ | राशि | नि.प्र. | कंडिकाएँ | राशि |
| 2005-06 | 504 | 6,688 | 825.50 | 24 | 384 | 233.09 | 0 | 107 | 2.59 | 528 | 6,965 | 1,056.01 |
| 2006-07 | 528 | 6,965 | 1,056.01 | 13 | 244 | 166.89 | 0 | 59 | 0.82 | 541 | 7,150 | 1,222.08 |
| 2007-08 | 541 | 7,150 | 1,222.08 | 23 | 438 | 221.28 | 0 | 26 | 2.11 | 564 | 7,562 | 1,441.25 |
| 2008-09 | 564 | 7,562 | 1,441.25 | 21 | 432 | 330.64 | 121 | 1,589 | 61.79 | 464 | 6,405 | 1,710.10 |
| 2009-10 | 464 | 6,405 | 1,710.10 | 16 | 397 | 580.67 | 122 | 1,401 | 174.46 | 358 | 5,401 | 2,116.30 |
| 2010-11 | 358 | 5,401 | 2,116.30 | 31 | 596 | 428.41 | 72 | 1,360 | 242.16 | 317 | 4,637 | 2,302.55 |
| 2011-12 | 317 | 4,637 | 2,302.55 | 16 | 528 | 759.49 | 173 | 2,039 | 330.45 | 160 | 3,126 | 2,731.59 |
| 2012-13 | 160 | 3,126 | 2,731.59 | 27 | 632 | 510.61 | 1 | 94 | 7.30 | 186 | 3,664 | 3,234.21 |
| 2013-14 | 186 | 3,664 | 3,234.21 | 22 | 484 | 743.89 | 3 | 199 | 42.94 | 205 | 3,949 | 3,935.17 |
| 2014-15 | 205 | 3,949 | 3,935.17 | 25 | 344 | 276.91 | 2 | 201 | 59.26 | 228 | 4,092 | 4,152.82 |

2005-06 से 2014-15 की अवधि के दौरान ` 4,251.88 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सहित 4,479 कंडिकाओं से अंतर्विष्ट 218 नि.प्र. निर्गत किया गया। इसी समय में ` 924.56 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 494 नि.प्र. में सन्निहित 7,075 कंडिकाओं का विभाग के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं नियमित पारस्परिक संपर्क के द्वारा निष्पादन किया गया। वर्तमान में ` 4,152.82 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 228 नि.प्र. में अर्न्तविष्ट 4,092 कंडिकाएँ निष्पादन हेतु लंबित है, जिसमें से ` 1,558.47 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 98 नि.प्र. में अर्न्तविष्ट 1,736 कंडिकाएँ 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित है (2005-06 से 2009-10 के बीच)।

## 1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और वसूल की गयी राशि से संबंधित कंडिकाओं की स्थिति **तालिका - 1.7.2** में वर्णित है।

**तालिका - 1.7.2**
**स्वीकृत मामलों में वसूली**

**(` करोड़ में)**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | सम्मिलित कंडिका की संख्या | कंडिकाओं का मौद्रिक मान | स्वीकार किये गये कंडिका की संख्या | स्वीकार किये गये कंडिकाओं का मौद्रिक मान | वसूल की गयी राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 9 | 47.34 | 0 | 0 | अनुपलब्ध |
| 2005-06 | 1 | 375.50 | 0 | 0 | अनुपलब्ध |
| 2006-07 | 13 | 338.59 | 3 | 286.15 | अनुपलब्ध |
| 2007-08 | 16 | 294.95 | 16 | 294.95 | अनुपलब्ध |
| 2008-09 | 16 | 199.13 | 14 | 115.13 | अनुपलब्ध |
| 2009-10 | 9 | 208.10 | 4 | 118.42 | 0.96 |
| 2010-11 | 10 | 320.19 | 8 | 307.56 | 4.42 |
| 2011-12 | 8 | 224.20 | 6 | 104.67 | 2.27 |
| 2012-13 | 9 | 304.67 | 5 | 290.11 | 10.07 |
| 2013-14 | 9 | 741.05 | 5 | 705.64 | 8.50 |

विभाग ने 2004-05 से 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए स्वीकृत मामलों के विरूद्ध की गई वसूली की सूचना नहीं दी। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वसूली की प्रगति शेष वर्षों 2009-10 से 2013-14 में स्वीकृत मामलों में 1.14 प्रतिशत एवं 3.47 प्रतिशत के बीच रहा जो नगण्य था। स्वीकृत मामलों में वसूली अनुसरण की जानी चाहिए चूंकि संबंधित पक्षों से बकाए वसूलनीय हैं। विभाग/सरकार के द्वारा स्वीकृत मामलों के अनुसरण हेतु कोई तंत्र संस्थापना नहीं की गयी थी।

**हम अनुशंसा करते है कि विभाग स्वीकार किये गये मामलों में वसूली के प्रयास एवं अनुश्रवण हेतु त्वरित कार्रवाई कर सकती है। स्वीकृत मामलों में लंबित वसूली के मामलों को संबंधित पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से विनिहित किया जा सकता है, चूँकि राज्य के राजस्व की रक्षा के लिये पूर्ण गंभीरता निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।**

## 1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गयी कार्यवाही

हमारे द्वारा संचालित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित विभागों/सरकार को उनके सूचनार्थ उनके उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ अग्रसारित किया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय बहिर्गमन सम्मेलन में इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर भी चर्चा की गयी तथा विभागों/सरकार के मंतव्यों को शामिल किया गया।

पिछले पाँच वर्षों में वाणिज्यकर विभाग के राजस्व शीर्ष बिक्री व्यापार आदि पर कर के संबंध नि.ले.प. में निम्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किया गया। अनुशंसाएँ एवं उनकी स्थिति का विवरण **तालिका - 1.7.3** में वर्णित है।

**तालिका – 1.7.3**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम | अनुशंसाएँ |
|---|---|---|
| 2010-11 | अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का उपयोग | अंचलों के केन्द्रीय घोषणा प्रपत्रों के भंडार पंजी/ लेखाबही के प्रारूप का मानकीकरण एवं प्रपत्रों के क्रमानुसार निर्गमन को सुनिश्चित करना; |
| | | टैक्स ऑडिट विंग को सुदृढ़ करने, अ.ब्यू. द्वारा नियमित सर्वेक्षण कार्य, क्रय विक्रय से संबंधित आँकड़े/सूचनाओं का संग्रहण तथा लेन-देन की तिर्यक जाँच के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों एवं उपक्रमों के आँकड़े/सूचनाओं से डाटाबेस तैयार करना; |
| | | व्यवसायियों के आँकड़े एवं उन्हें निर्गत प्रपत्रों को अपलोड करने तथा करनिर्धारण के समय टिनेक्सिस पर उपलब्ध डाटाबेस से उनके द्वारा समर्पित प्रपत्रों की जाँच करना; एवं |
| | | विभागीय वेबसाईट और डाटा सेन्टर से प्रमाणित होने के पश्चात हस्तचालित पद्धति को ऑनलाइन पद्धति में परिवर्तन करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करना। |
| 2013-14 | कार्य/आपूर्ति संविदाओं पर कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण | मामलों के त्वरित निपटान हेतु लगातार अनुश्रवण और बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को प्रयुक्त कर बकाये की वसूली भू-राजस्व की बकाये की तरह वसूली हेतु विभाग को निर्देश जारी करना; |
| | | नियमित बाजार सर्वेक्षण का संचालन आँकड़े/अभिलेखों का अंर्न्तविभागीय तिर्यक जाँच तथा कार्य/आपूर्ति संवंदकों के निबंधन हेतु अन्य समुचित मानदण्डों को विभाग में स्थापित करना सुनिश्चित करना; |
| | | नियमित रूप से अपने विभाग के मुख्य संवेदक के कर निर्धारण अभिलेखों से उपसंवेदकों द्वारा भुगतान प्राप्ति की तिर्यक जाँच की प्रणाली स्थापित करना, |
| | | लोक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों को संविदाओं को विखंडित अनुबंध करने से रोकने हेतु उचित निर्देश जारी करना, जहाँ उपस्करों की आपूर्ति मार्गस्थ बिक्री मान कर किया गया, जिससे कर का अपवंचन हुआ; |
| | | ठेकादाता/मुख्य संवेदकों को एकल पहचान संख्या जारी करते हुए विवरणियों के द्वारा टी.डी.एस. के संग्रहण एवं कोषागार में उनके प्रेषण के अनुश्रवण हेतु एक तंत्र स्थापित करना; |

**तालिका – 1.7.3**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम | अनुशंसाएँ |
|---|---|---|
| | | झा.मू.व.क. लेखापरीक्षा शाखा द्वारा सावधिक लेखापरीक्षा और उन उप-संवेदकों के अभिलेखों के चयन के मानदण्ड जो निबंधित बड़े संवेदकों से भुगतान प्राप्त करते हो, को सुनिश्चित करना; और |
| | | कार्य संवेदकों के विनियमन एवं विभागों द्वारा डाटाबेस का सृजन एवं राज्य/केन्द्र सरकार के उपक्रमों एवं अन्य बड़े उपक्रमों से आँकड़े/सूचनाएँ नियमित रूप से संग्रह करने एवं उसके तिर्यक जाँच हेतु अ.ब्यू. के कार्यों को सुदृढ़ करना। |

इन अनुशंसाओं में से, अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी।

**हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार निर्गमन सम्मेलन के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित की गयी हमारी अनुशंसाओं के विरूद्ध दिये गये आश्वासनों पर की गयी कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु उपयुक्त कदम उठाने पर विचार कर सकती है।**

## 1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अवलोकनों की पूर्व प्रवृत्तियां और अन्य मानदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की राजस्व प्राप्ति एवं कर प्रशासन के विवेचनात्मक मुद्दे, यथा बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की अनुशंसाएँ, पिछले पाँच वर्षों के राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएँ, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले पाँच वर्षों में इसका प्रभाव आदि सम्मिलित होता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, सम्पूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र में कुल 505 लेखापरीक्षा इकाइयाँ शामिल थी जिनमें से 114 इकाइयों को लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी एवं लेखापरीक्षा की गयी। विवरण **तालिका - 1.8** में वर्णित है।

**तालिका - 1.8**
**लेखापरीक्षा योजना**

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष | इकाइयों की कुल संख्या | इकाइयाँ जिनके लिये लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी | 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 46 | 26 | 26 |
| 2 | वाहनों पर कर | 27 | 17 | 17 |
| 3 | मुद्रांक एवं निबंधन फीस | 46 | 14 | 14 |
| 4 | राज्य उत्पाद | 23 | 18 | 18 |
| 5 | भू-राजस्व | 307 | 20 | 20 |
| 6 | अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 50 | 18 | 18 |
| 7 | झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम | 5 | 00 | 00 |
| 8 | झारखण्ड स्टेट बेभरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड | 1 | 01 | 01 |
| **कुल** | | **505** | **114** | **114** |

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त **"मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली"** तथा **"परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल"** के दो निष्पादन लेखापरीक्षा भी इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए लिये गये।

## 1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

### वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार, निबंधन एवं खान एवं भूतत्व विभागों के 114 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 6,699 मामलों में ` 1,219.56 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि को दर्शाया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने हमारे द्वारा इंगित 4,052 मामलों में ` 687.47 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें 4,016 मामलों में सन्निहित ` 684.42 करोड़ 2014-15 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किया गया। विभागों ने 2014-15 में 340 मामलों में ` 3.37 करोड़ वसूल किया।

## 1.10 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में ` 1,049.00 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 30 कंडिकाएँ उपर संदर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, से चयनित एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षा **"मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली"** एवं **"परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल"** हैं जिसमें से ` 1,026.48 करोड़ वसूलनीय हैं।

विभाग/सरकार ने ` 22.52 करोड़ के परिहार्य सैद्धांतिक क्षति सहित ` 672.01 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं ` 3.18 करोड़ वसूल किया। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)। इनकी चर्चा अनुवर्त्ती अध्याय II से VI में की गयी है।